

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएस

प्रकरण सं० : 36/2021

1. अजयसिंह पुत्र रायसिंह जाति राजपुत निवासी गढ़डा त० भादरा।

:- वादी

व न म

1. रायसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी गढ़डा त० भादरा।

2. मानसिंह पुत्र रायसिंह जाति राजपुत निवासी गढ़डा त० भादरा


3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बेनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही झिलौदा के खाता सं० 12/8 के खसरा सं० 68 की 2.087है० खसरा सं० 72 की 1.897है० खसरा सं० 98 की 0.025है० खसरा सं० 104 की 4.904है० कुल 8.916है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रायसिंह के नाम 141 हिस्सा तथा रोही मौजा गढ़डा के खाता सं० 207/199 के खसरा सं० 283 की 2.201है० खसरा सं० 290 की 3.035है० खसरा सं० 325 की 2.782है० कुल 8.018है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रायसिंह के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं० 1 रायसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकिं उक्त वाद भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी अजयसिंह प्रतिवादी सं० 2 मानसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-03-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा



R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएस

प्रकरण सं० : 36/2021

1. अजयसिंह पुत्र रायसिंह जाति राजपुत निवासी गढ़डा त० भादरा। :-वादी

ब न अ म

1. रायसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी गढ़डा त० भादरा।
2. मानसिंह पुत्र रायसिंह जाति राजपुत निवासी गढ़डा त० भादरा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बेनिवाल : वादीगण

वकील श्री विनोद शर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 22-03-2021



संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा झिलौदा के खाता सं० 11/9 के खसरा सं० 104/395 की 1.644है० वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रायसिंह के नाम 1/5 हिस्सा व रोही झिलौदा के ही खाता सं० 12/8 के खसरा सं० 68 की 2.087है० खसरा सं० 72 की 1.897है० खसरा सं० 98 की 0.025है० खसरा सं० 104 की 4.904है० कुल 8.916है० वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रायसिंह के नाम 141 हिस्सा तथा रोही मौजा गढ़डा के खाता सं० 207/199 के खसरा सं० 283 की 2.201है० खसरा सं० 290 की 3.035है० खसरा सं० 325 की 2.782है० कुल 8.018है० वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रायसिंह के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा अमरसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। अमरसिंह के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 रायसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। जबकि प्रतिवादी सं 3 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 अजयसिंह पुत्र रायसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही झिलौदा के खाता सं० 11/9 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही झिलौदा खाता सं० 12/8 प्रदर्श 2 जमाबंदी रोही गढ़डा प्रदर्श 3 जमाबंदी भू प्रबन्धक विभाग रोही मौजा झिलौदा प्रदर्श 4 जमाबंदी रोही गढ़डा खसरा मिलान प्रदर्श 5 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।


हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही झिलौदा व गढ़डा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में रोही झिलौदा के खाता सं 11/9 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही झिलौदा खाता सं 12/8 प्रदर्श 2 जमाबंदी रोही गढ़डा प्रदर्श 3 जमाबंदी भू प्रबन्धक विभाग रोही मौजा झिलौदा प्रदर्श 4 जमाबंदी रोही गढ़डा खसरा मिलान प्रदर्श 5 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 4 व 5 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 6 में वारिस प्रमाण के अनुसार रायसिंह के दो पुत्र अजयसिंह, मानसिंह तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। मुताबिक राजीनामा वाद भूमि में रोही झिलौदा के खाता सं 11/9 की वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम यथावत् रखते हुए शेष वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही झिलौदा के खाता सं 12/8 के खसरा सं 68 की 2.087 है 0 खसरा सं 72 की 1.897 है 0 खसरा सं 98 की 0.025 है 0 खसरा सं 104 की 4.904 है 0 कुल 8.916 है 0 बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 रायसिंह के नाम 141 हिस्सा तथा रोही मौजा गढ़डा के खाता सं 207/199 के खसरा सं 283 की 2.201 है 0 खसरा सं 290 की 3.035 है 0 खसरा सं 325 की 2.782 है 0 कुल 8.018 है 0 बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 रायसिंह के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं 1 रायसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकिं उक्त वाद भूमि में से प्रतिवादी सं 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी अजयसिंह प्रतिवादी सं 2 मानसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़